कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,

इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक–3058 / FP/UK/ROAD/17679/2016 :देहरादून:दिनांक: 29 जनवरी, 2019

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर–मध्य क्षेत्र)
25 सुभाष रोड़, देहरादून।

विषयः– जनपद–रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत नागजगई–फेगू–बरम्वाड़ी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.451 हे0 वन भूमि के गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

संदर्भः– भारत सरकार की पत्र संख्या–8बी / यू0सी0पी0 / 06 / 176 / 2016 / एफ0सी0 / 1871 दिनांक 13–02–2018 (ऑनलाईन पत्रावली संख्या– FP/UK/ROAD/17679/2016)

महोदय,

कृपया भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिससे भारत सरकार द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में कतिपय शर्तों के तहत सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन कर आख्या निम्न प्रकार प्रेषित की जा रही है :–

1. शर्त संख्या–1 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 2.902 है0 ग्राम–फेगू सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु देय धनराशि रू0 8,08,686.00 मात्र ऑनलाईन चालान के माध्यम से तदर्थ कैम्पा कोष में जमा कराया जा चुका है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित 2.902 है0 ग्राम–फेगू सिविल सोयम भूमि को वन विभाग के पक्ष में म्यूटेशन किया जा चुका है, जिसकी प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। **(संलग्नक–1)**
2. शर्त संख्या–2 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा एन0पी0वी0 की देय धनराशि रू0 9,53,307.00 मात्र ऑनलाईन चालान के माध्यम से तदर्थ कैम्पा कोष में जमा कराया जा चुका है।
3. शर्त संख्या–3 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रेषित एन0पी0वी0 की बढोत्तरी के वचनबद्धता का प्रमाण–पत्र संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। **(संलग्नक–2)**
4. शर्त संख्या–4 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उपरोक्तानुसार कुल जमा की गयी धनराशि रू0 17,61,993.00 मात्र की ऑनलाईन पोर्टल की रसीद सलग्न कर प्रेषित की जा रही है। **(संलग्नक–3)**
5. शर्त संख्या–5 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रेषित मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर वृक्षारोपण की धनराशि वहन किये जाने का प्रमाण–पत्र संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। **(संलग्नक–4)**
6. शर्त संख्या–6 के अनुपालन में प्रस्ताव के ऑनलाईन प्रपत्र पार्ट–। से पार्ट–5 तक संलग्न कर प्रेषित किये जा रहे है। **(संलग्नक–5)**
7. शर्त संख्या–7 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रेषित एफ0आर0ए0 से सम्बन्धित ग्राम बरमवाडी का अनापत्ति एवं उपस्थिति प्रमाण–पत्र की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। **(संलग्नक–6)**

अतः अनुरोध है कि प्रकरण की महत्ता को दृष्टिगत रखते हुये विषयांकित प्रकरण पर विधिवत स्वीकृति निर्गत किये जाने पर विचार करने का कष्ट करें।

<u>संलग्न–यथोपरि</u>

भवदीय,

(अनूप मलिक)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

संख्या–3058 / FP/UK/ROAD/17679/2016 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।
3. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, ऊखीमठ।

(अनूप मलिक)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी